न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

अपील संख्या 176/2024

श्री लियाकत अली पुत्र रमजान निवासी झटावा खुर्द, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनूं (पूर्व मैसर्स श्री लियाकत अली, उचित मूल्य दुकानदार झटावा खुर्द, पोस कोड नं0 14282, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनूं।

–– अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं।

–– रेस्पोडेन्ट

––

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 18.12.2023 कार्यालय/न्यायालय जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं क्रमांक रसद/अभियोग/2023/181 बाबत निलम्बित किये जाने प्राधिकार पत्र संख्या 1195/07

––

उपस्थितः–

1. श्री राहुल स्वामी, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से
2. श्री विकास कुमार, विभागीय पैरोकार– रेस्पोडेन्ट की ओर से

आदेश

दिनांक 05.08.2025

उक्त विषयक अपील विद्वान जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं के निर्णय दिनांक 18.12.2023 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट निम्न प्रकार से पेश है कि अदालत मातहत जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं का आदेश दिनांक 18.2.2023 विरूद्व कानून, न्याय व पत्रावली है।अदालत मातहत जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं द्वारा प्रार्थी/अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है। दिनांक 15.12.2023 को अपीलान्ट मौके/दुकान पर उपस्थित नही होने की सूचना अपने भतीजे इमरान को भेजकर दी कि परिवार मे भाई इकबाल निवासी गोविन्दपुरा का इन्तकाल/मृत्यु हो जाने के कारण दाह संस्कार मे गया हुआ था। इसके बाद लगातार अपीलान्ट का पिता बीमार हो जाने के कारण उसके साथ रहा है और उनका बीकानेर कैंसर अस्पताल मे इलाज करवाया गया और दौराने इलाज ही अपीलान्ट के पिता की मृत्यु हो गई। इस प्रकार से अपीलान्ट पारिवारिक परिस्थितियों के कारण परेशानी मे था। इस तथ्य पर अदालत मातहत ने गौर नही कर आदेश पारित किये जाने मे भारी कानूनी भूल की है। अपीलान्ट द्वारा अदालत मातीत के समक्ष सही स्थिति पेश नही कर सका और अदालत मातहत ने बिना किसी आधार व सबूत के आदेश पारित कर दिया गया है। अदालत मातहत कके अधीनस्थ अधिकारी द्वारा जो प्रथम सूचना रिपोर्ट नं0 43/2024 थाना मलसीसर मे दर्ज करवाई गई थी जिसे पुलिस ने अदम वकू झूठ मानकर एफ0आर0 नं0 18/2024 न्यायालय मे प्रस्तुत कर दी। जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 22.05.2025 को स्वीकार कर लिया है और

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

पुलिस द्वारा एफ0आर0 मे सही तथ्यों को दर्ज किया गया है। परन्तु अदालत मातहत ने सही गौर नही कर आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदेन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं को आदेश दिनांक 18.12.2023 को अपास्त किया जाकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र संख्या 1195/07 बहाल किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि अदालत मातहत जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं द्वारा प्रार्थी/अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है। दिनांक 15.12.2023 को अपीलान्ट मौके/दुकान पर उपस्थित नही होने की सूचना अपने भतीजे इमरान को भेजकर दी कि परिवार मे भाई इकबाल निवासी गोविन्दपुरा का इन्तकाल/मृत्यु हो जाने के कारण दाह संस्कार मे गया हुआ था। इसके बाद लगातार अपीलान्ट का पिता बीमार हो जाने के कारण उसके साथ रहा है और उनका बीकानेर कैंसर अस्पताल मे इलाज करवाया गया और दौराने इलाज ही अपीलान्ट के पिता की मृत्यु हो गई। इस प्रकार से अपीलान्ट पारिवारिक परिस्थितियों के कारण परेशानी मे था। इस तथ्य पर अदालत मातहत ने गौर नही कर आदेश पारित किये जाने मे भारी कानूनी भूल की है। अपीलान्ट द्वारा अदालत मातीत के समक्ष सही स्थिति पेश नही कर सका और अदालत मातहत ने बिना किसी आधार व सबूत के आदेश पारित कर दिया गया है। अदालत मातहत कके अधीनस्थ अधिकारी द्वारा जो प्रथम सूचना रिपोर्ट नं0 43/2024 थाना मलसीसर मे दर्ज करवाई गई थी जिसे पुलिस ने अदम वकू झूठ मानकर एफ0आर0 नं0 18/2024 न्यायालय मे प्रस्तुत कर दी। जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 22.05.2025 को स्वीकार कर लिया है और पुलिस द्वारा एफ0आर0 मे सही तथ्यों को दर्ज किया गया है। परन्तु अदालत मातहत ने सही गौर नही कर आदेश पारित किया गया है। एफ0आर0 स्वीकृति के रोज से अपीलान्ट की अपील अन्दर मियाद है। रेस्पो0 द्वारा गलत दुकान का निरीक्षण किया गया है। स्टॉक स्थानान्तरित करने के दौरान अपीलान्ट द्वारा पूरा स्टॉक संभला दिया है। अपीलान्ट ने कोई गबन नही किया है। अपीलान्ट विकलांग व्यक्ति है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं को आदेश दिनांक 18.12.2023 को अपास्त किया जाकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र संख्या 1195/07 बहाल किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

विद्वान विभागीय पैरोकार ने वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट का आदेश दिनांक 18.12.2023 को प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया था। उक्त आदेश की अपील अपीलान्ट को 90 दिवस मे करनी थी। अपीलान्ट की यह अपील मियाद बाहर है। अपीलान्ट की राशन की दुकान की जांच दिनांक 15.12.2023 को की गई थी। जांच मे 5546 किलो स्टॉक कम पाया गया था। अपीलान्ट को उसके द्वारा की गई अनियमितता के लिए नोटिस जारी किया गया था। अपीलान्ट ने नोटिस का कोई जबाब नही दिया। स्टॉक स्थानान्तरित करते समय अन्य जगह से स्टॉक मैनेज कर स्टॉक संभलाया गया है। अपीलान्ट द्वारा जांच मे सहयोग नही किया गया। अपीलान्ट की अपील में कोई सार नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावें।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। अपीलान्ट के प्रकरण मे अहम तर्क यह रहे कि एफ0आर0 स्वीकृति के रोज से अपीलान्ट की अपील अन्दर मियाद है। रेस्पो0 द्वारा गलत दुकान का निरीक्षण किया गया है। स्टॉक स्थानान्तरित करने के दौरान अपीलान्ट द्वारा पूरा स्टॉक संभला दिया है। अपीलान्ट ने कोई गबन नही किया है। जबकि रेस्पोडेन्ट के अहम तर्क यह रहे कि अपीलान्ट की यह अपील मियाद बाहर है। अपीलान्ट की राशन की दुकान की जांच दिनांक 15.12.2023 को की गई थी। जांच मे 5546 किलो स्टॉक कम पाया गया था। अपीलान्ट को उसके द्वारा की गई अनियमितता के लिए नोटिस जारी किया गया था। अपीलान्ट ने नोटिस का कोई जबाब नही दिया। स्टॉक स्थानान्तरित करते समय अन्य जगह से स्टॉक मैनेज कर स्टॉक संभलाया गया है। चूंकि अपीलान्ट द्वारा स्टॉक स्थानान्तरित करते समय पूरा स्टॉक संभलाया जा चुका है। अपीलान्ट विकलांग व्यक्ति भी है जिसके रोजगार का एकमात्र यही साधन है। अपीलान्ट जांच मे सहयोग नही करने का दोषी रहा है। ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट की यह अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत के आदेश दिनांक 18.12.2023 को अपास्त किया जाता है तथा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र संख्या 1195/07 को 500/– रूपये की शास्ति लगाई जाकर बहाल किये जाने का आदेश प्रदान दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं शास्ति राशि अपीलान्ट से वसूल कर शास्ति राशि राजकोष मे जमा करावें। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं